>

Title: Need to give assistance to farmers in a time bound manner in the country when a natural calamity occurs.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि किसानों पर जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उन्हें टाइम बाउंड मैनर से सहायता क्यों नहीं दी जाती है? जैसे अभी ओलावृष्टि की बात है। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान में भी ओलावृष्टि हुई है। मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर के लूणकरणसर, खाजुवाला, अनूपगढ़, श्रीकोलायत, श्रीढूंगरगढ़ और नूखा तहसीलों में ओलावृष्टि हुई है और पूरे राजस्थान में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि होने के बाद फसलों को नुकसान हुआ है, जिसमें चना, जौ, गेहूं, सरसों आदि हैं। मेरा कहना है कि सीआरएफ और एनसीसीएफ नार्म्स में है तो फिर किसान को एप्लीकेशन क्यों देनी पड़ती है? गिरदावरी रिपोर्ट क्यों मंगाई जाती है? ये टाइम बाउंड मैनर में भारत सरकार का या राज्य सरकार का रिड्रेसल सैल बना हुआ है, उसमें इसे क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता है और 15 दिनों के भीतर यह सहायता किसानों को क्यों उपलब्ध नहीं कराई जाती है, मेरा भारत सरकार से यही अनुरोध है और इसके लिए एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, गिरदावरी एटोमैटिकली होनी चाहिए और 15 दिन के भीतर सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।

मेरा यही आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है।